न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक– /2011 R - 2219 - III / 2011

श्रीमती गौरा विधवा पत्नी भागीरथ लोधी निवासी–ग्राम ढला परगना पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.) ———आवेदिका

बनाम

1. महिला लक्ष्मी पत्नी श्री गौरे लाल लोधी, निवासी–ग्राम ढला परगना पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. श्रीमती मीरा पत्नी हरनाम लोधी, निवासी–ग्राम नया खेड़ा, परगना पिछोर, जिला शिवपुरी
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी (म.प्र.)

———अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक–35/2009–10/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20/01/2011 के विरूद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, ग्राम ढला तहसील पिछोर जिला शिवपुरी में स्थित भूमि कुल किता 18 कुल रकवा 5.090 हेक्टेयर का स्वामी भूमि आवेदिका का पति भागीरथ लोधी था। भागीरथ के स्वर्गवास उपरांत आवेदिका एवं उसकी तीनों पुत्रियां मीरा, सरोज एवं सुशीला बाई (नाबालिग) के नाम समान भाग पर अर्थात् 1/4, 1/4 पर राजस्व अभिलेख में नामांतरण हुआ।

2. यह कि, आवेदिका की पुत्री सुशीला बाई (नाबालिग) का स्वर्गवास हो जाने से उसके 1/4 भाग का प्रथम उत्तराधिकारी के आधार पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2219 – III/ 11 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 40/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20/01/11 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर	